

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(जुलाई, 2012 सत्र)

(दिनांक 12 जुलाई, 2012 से 19 जुलाई, 2012 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
वर्ग - 1					
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	12 जुलाई, 2012	06 जुलाई, 2012		
वित्त	"				
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"				
ऊर्जा	"				
खनिज साधन	"				
जनसंपर्क	"				
सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	"				
विमानन	"				
कृषि	कृषि मंत्री			19 जुलाई, 2012	12 जुलाई, 2012
पशुधन विकास	"				
मछली पालन	"				
श्रम	"				
आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री				
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	"				
वर्ग - 2					
गृह	गृह मंत्री	13 जुलाई, 2012	07 जुलाई, 2012		
जेल	"				
सहकारिता	"				
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	लोक स्वास्थ्य मंत्री				
चिकित्सा शिक्षा	"				
वाणिज्यिक कर	"				
नगरीय प्रशासन एवं विकास	"				
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री				
समाज कल्याण	"				
खेल एवं युवा कल्याण	"				
वर्ग - 3					
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री	16 जुलाई, 2012	09 जुलाई, 2012		
स्कूल शिक्षा	"				
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"				
संस्कृति	"				
पर्यटन	"				
संसदीय कार्य	"				
वन	वन मंत्री				
सार्वजनिक उपक्रम	"				
जन शिकायत निवारण	"				

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग - 4			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विधि एवं विधायी कार्य	पंचायत मंत्री	17 जुलाई, 2012	10 जुलाई, 2012
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
आयाकट	"		
उच्च शिक्षा	"		
तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	"		
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	"		
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास	राजस्व मंत्री		
वर्ग - 5			
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री	18 जुलाई, 2012	11 जुलाई, 2012
ग्रामोद्योग	"		
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"		
आवास एवं पर्यावरण	आवास एवं पर्यावरण मंत्री		
परिवहन	"		
वाणिज्य एवं उद्योग	"		

- नोट :- 1. विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये विभागों के संपूर्ण वर्ग को लागू होंगे.
2. विभाग से उत्तर प्राप्त होने की निर्धारित तिथि को उत्तर **कार्यालय समय** में ही प्रेषित करना कृपया सुनिश्चित किया जाये, कार्यालय समय के पश्चात् उत्तर प्राप्त नहीं किये जायेंगे तथा प्रश्नोत्तर-सूची में **"मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ"** टीप के साथ मुद्रित कर दिया जायेगा.
3. अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 18 (6) के पालन में जिन प्रश्नों के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट पॉच अथवा पॉच से अधिक पृष्ठ के हों, विभाग ऐसे उत्तरों की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति (सी.डी.) भी उत्तर के साथ (परिशिष्ट की प्रति सहित) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना कृपया सुनिश्चित करें.

रायपुर
दिनांक : जून, 2012

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा

पृ.क्र. /वि.स./प्रश्न/2012

रायपुर, दिनांक : जून, 2012

प्रतिलिपि :-

- माननीय मुख्यमंत्री
- समस्त माननीय मंत्री एवं माननीय संसदीय सचिव
- मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन
- शासन के समस्त विभागों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा